न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 65 / 2023	2023 / 528	26–07–2023	30–05–2024

1–आस मौहम्मद पुत्र स्व. शादी जाति मेव निवासी ग्राम मन्नाका तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1–तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।
2–बने खां,
3–अली मौहम्मद,
4–आमीन खां,
5–अतर खां,
6–अली खां पुत्रान स्व शादी खां निवासीयान मन्नाका तहसील व जिला अलवर (राज0)
7–जुहरी पुत्री स्व. शादी खां,
8–ऐमना पुत्री स्व.शादी खां,
9 धोली पत्नि स्व.शादी खां निवासीयान मन्नाका तहसील व जिला अलवर (राज0)

–असल रेस्पाडेन्टान्

10–जैकमदीन,
11–जफरूदीन,
12–मिसकिन खां पुत्रान स्वं अलीमन पत्नि सत्ते खां नवासे स्व. शादी खा,
13–मैमूना पुत्री स्वं अलीमन पत्नि सत्ते खां नवासे स्व.शादी खा,
14–मिसकीना पुत्रीयान स्व अमीमन पत्नि सत्ते खां नवासी स्वं शादी पत्नि सत्ते खां जतियान मेव निवासीयान हाल ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर (राज0)

–तरतीबी रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्व तहसीलदार अलवर विरासत इंतकाल सं0 563 दिनांक 28.06.2018 ग्राम मन्नाका व इंतकाल सं0 2239 ग्राम तुलेडा दिनांक 28.06.2018

उपस्थित:–

1.श्री महादेव प्रसाद जांगिड –वकील अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंटान
2.श्री अजय कुमार जांगिड –वकील असल रेस्पोडेंटान

:: निर्णय ::

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 28.06. 2018 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 563 वाके ग्राम मन्नाका व इंतकाल सं0 2239 ग्राम तुलेडा दिनांक 28.06.2018 तरफ तहसील अलवर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित इंतकाल में वर्णित खाता सं0 10 शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा, आराजी खाता सं0 155 में शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा, आराजी खाता सं0 229 में शादी पुत्र चाव सिंह का सम्पूर्ण हिस्सा, आराजी खाता सं0 09 में शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा, आराजी खाता सं0 18 मे शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा है जिसका शादी पुत्र चाव सिंह काबिज कृषक खातेदार रहा है। शादी पुत्र चाव सिंह का देहांत दिनांक 29.12.2014 को हो चुका है। मृतक शादी पुत्र चाव सिंह की उपरोक्त आराजीयात की विरासत इंतकाल सं0 563

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वाके मन्नाका, 2239 वाके ग्राम तुलेडा दिनांक 21.06.2018 को खोला जाकर दिनांक 28.06.2018 तहसीलदार अलवर द्वारा तस्दीक किया गया जिस विरासत इंतकाल की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं थी। अपीलार्थी इस मुगालदे में था। कि उसके पिता मृतक शादी पुत्र चाव सिंह की आराजीयात का विरासत इंतकाल अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 लगा0 14 की माता अलीमन के नाम असल रेस्पोडेंट 02 ला0 09 के साथ ही खोल व तस्दीक कर दिया होगा, लेकिन दिनांक 30.07.2019 को जब असल रेस्पोडेंट सं02 ला0 09 ने अपीलार्थी के वादग्रस्त आराजीयात सालिम हिस्से रकबे मे कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की ओर असल रेस्पोडेंट सं0 02 ला0 09 ने कहा कि मृतक शादी पुत्र चाव सिंह की आराजीयात पर अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मृतक शादी पुत्र चाव सिंह की आराजीयात अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 ला0 14 के हिस्से में नही आई है और ना ही मृतक शादी पुत्र चाव सिंह का विरासत इंतकाल अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट 10 ला0 14 के नाम तस्दीक हुआ है। इसलिए असल रेस्पोडेट सं0 02 ला0 09 अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 ला0 14 को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करके रहेंगे। जिस बात को सुनकर अपीलार्थी भौचक्का व आश्चर्य चकित रह गया और अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात की बाबत अपने पिता शादी पुत्र चाव सिंह का विरासत इंतकाल की नकल दिनांक 31.07.2019 को प्राप्त की। जिस विवादित इंतकाल का अवलोकन अपीलार्थी ने किया तो पाया कि विवादित इंतकाल सं0 563,2239 में अपीलार्थी व उसकी बहन मृतक अलीमन के नाम ना तो खोला और ना ही तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने कानूनी मश्वरा प्राप्त किया। तो कानूनी सलाहकार द्वारा अपीलार्थी को बताया गया कि यदि अपीलार्थी विवादित को उक्त विवादित विरासत इंतकाल सं0 563श 2239 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील दायर करते हुए अपना उज्र व ऐतराज पेश करना होगा। जिस पर अपीलार्थी ने अपील हेतु रूपयों पैसों का इंतजाम कर यह अपील बिना देरी श्रीमान की सेवा में पेश है। विवादित आदेश तहसीलदार अलवर जिला अलवर का है। विवादित आदेश दिनांक 28.06.2018 का है विवादित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नही थी।। दिनांक 30.07.2019 को जब असल रेस्पोडेंट सं0 02 ला0 09 ने अपीलार्थी के वादग्रस्त आराजीयात सालिम हिस्से रकबे में कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की और असल रेस्पोडेंट सं0 02 ला0 09 ने कहा कि मृतक शादी पुत्र चाव सिंह की आराजीयात अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 ला0 14 के हिस्से में नही आई है और ना ही मृतक शादी पुत्र चाव सिंह का विरासत इंतकाल अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 ला0 14 के नाम तस्दीक हुआ है। इसलिए असल रेस्पोडेंट सं0 02 ला09 अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 ला0 14 को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करके रहेंगे। जिस बात को सुनकर अपीलार्थी भौचक्का व आश्चर्य चकित रह गया और अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजीयात की बाबत अपने पिता शादी पुत्र चाव सिंह का विरासत इंतकाल की नकल दिनांक 31.07.2019 को प्राप्त की। जिस विवादित इंतकाल का अवलोकन अपीलार्थी ने किया तो पाया कि विवादित इंतकाल सं0 563,2239 में अपीलार्थी व उसकी बहन मृतक अलीमन के नाम ना तो खोला गया और ना ही तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने कानूनी मश्वरा प्राप्त किया। तो कानूनी सलाहकार द्वारा अपीलार्थी को बताया गया कि यदि अपीलार्थी विवादित इंतकाल सं0 563, 2239 से व्यथित व पीडित है तो अपीलार्थी को उक्त विवादित विरासत इंतकाल सं0 563, 2239 के विरूद्व सक्षम न्यायालय मे अपील दायर करते हुये अपना उज्र व ऐतराज पेश करना होगा। जिस पर अपीलार्थी ने अपील हेतु रूपयों पैसों का इंतजाम कर यह अपील बिना देरी श्रीमान की सेवा में पेश है। लेकिन फिर भी जो समय आज दिन तक तक जानकारी के अभाव में व्यथित हुआ है वह काबिल कंडोन है। जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र पेश है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश मनमाना कयासीया तौर पर पारित किया है। जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त आराजी के मौके कब्जे की जॉच नही की गई । जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व शादी पुत्र चाव सिंह के वारिसान की किसी प्रकार से जॉच नही की गई और ना ही तहत न्यायालय ने मृतक शादी पुत्र चाव सिंह के वारिसान की बाबत कोई सरपंच/सचिव/पंच/पटवारी हल्का से वारिसान की रिपोर्ट तलब नही की गई। और ना ही अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट 10 ला0 14 को सम्यक रूप से तलब कर किसी प्रकार की उज्रदारी तलब नही की गई। जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की उज्रदारी तलब नही की गई। विवादित आराजीयात खाता सं0 10,155,09,18, में अपीलार्थी का 1/44 हिस्सा तथा आराजी खाता सं0 229 में 1/11 हिस्सा जन्मजात है तथा तरतीबी रेस्पोडेंट सं0 10 ला0 14 का अपनी माता मृतक अलीमन के पुत्र व पुत्रीयॉ होने के कारण तथा अलीमन के विधिक वारिसान व कायम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मुकाम होने के कारण तथा अलीमन के विधिक वारिसान व कायम मुकाम होने से अपनी माता अलीमन मृतका के आराजी खाता सं0 10,155,09,18, में 05/220 हिस्सा व खाता सं0 229 में 05/55 हिस्सा है। जो हिस्सा अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 10 ला0 14 को विधिवत प्राप्त हुआ है। असल रेस्पोडेंटान बने खॉ ने तहत न्यायालय के समक्ष जो खानदान सजरा पेश किया है। वह गलत पेश किया है। जिसके सही होने के संबंध में कोई जॉच नही कराई गई और ना ही कोई जॉच रिपोर्ट तलब की गयी। असल रेस्पोडेंट बने खां की ओर से पेश किय गये सजरे को सही व सत्य मानने का तहत अदालत पर कोई ठोस कारण नही था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इंतकाल सं0 563,2239 तहसीलदार, अलवर दिनांक 28.06.2018 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलार्थी की बहस व प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.05.2024 पर चिन्तन मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरूद्व दिनांक 26.08.2019 को पेश की गई है। जो करीब 12 माह के विलम्ब से पेश की गई है। व्यतीत अवधि को कन्डोंन किये जाने हेतु दिन–प्रतिदिन का हिसाब दिया जाना होता है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर नरमी का रूख अपनाते हुये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक अपील का प्रश्न है, जिसमें पक्षकारो द्वारा राजीनामा प्रार्थना–पत्र पेश कर अंकन किया है कि इंतकाल सं0 569 एवं 2239 निर्णय दिनांक 28.06.2018 क्रमशः वाके ग्राम मन्नाका एवं तुलेडा तहसील अलवर में वर्णित आराजीयात पर हमारे बुजुर्गागान शादी पुत्र चाव सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी है। शादी पुत्र चाव सिहं का देहान्त दिनांक 29.12.2014 को हो चुका है। जिसका सजरा भी राजीनामा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है। शादी पुत्र चाव सिंह की मृत्यु के पश्चात पक्षकारान विवादित आराजी पर बहैसीयत काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात पर शादी पुत्र चाव सिंह के सजरे में दर्शाये गये वारीसान अपने अपने हिस्से पर काबित है। अपीलान्ट आस मोहम्मद तरतीबी रेस्पो0 सं0 10 लगा0 14 जो कि मृतक शादी की पुत्री अलीमन के वारीसान है जिनका नाम सहवन से रह गया है। जिस कारण उक्त दोनो अपीलाधीन इंतकाल निरस्तकर दिया जाये जिसके हम पक्षकारान सहमत है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.05.2024 के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा तस्दीक इंतकाल सं0 563 एवं 2239 निर्णय दिनांक 28.06.2018 क्रमशः वाके ग्राम मन्नाका एवं तुलेडा तहसील अलवर निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.05.2024 के आधार पर इंतकाल दर्ज व तस्दीक करने की कार्यवाही करें। उक्त राजीनामा निर्णय का भाग समझा जावें। निर्णय एवं राजीनामा दिनांक 16.05.2024 की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

सेवा में,

न्यायालय जिला कलक्टर साहब

अलवर राज0

1– आस मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री शादी जाति मेव – अपीलाण्ट

बनाम

1– तहसीलदार महोदय अलवर व अन्य –रेसपोडेण्टान

राजस्व अपील विरूद्ध विरासत इन्तकाल

श्रीमान,

राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि खाता नम्बर 10 की आराजी खसरा नम्बर 350 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 350/903 रकबा 0.23 हक्टेयर, 351 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 352 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 419 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 420 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 421 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 422 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 423 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 424 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 425 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 426 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 736 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 737 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 738 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 739 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खता संख्या 155 की आराजी खसरा नम्बर 415 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खाता संख्या 229 की आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 369 रकबा 0.97 हैक्टेयर, 370 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 371 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.51

लगातार–2

हैक्टेयर,373 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 380 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 399 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 709 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 710 रकबा 0.73 हैक्टेयर/ खाता संख्या 9 की आराजी खसरा नम्बर 3081 रकबा 0. 38 हैक्टेयर, 3082 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 3084 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 3085 रकबा 0.47 हैक्टेयर, वाके ग्राम ~~कन्याका~~ तुलेडा तहसील व जिला अलवर राज0 खाता संख्या 17 की आराजी खसरा नम्बर 3030 रकबा 0.20 हैक्टेयर,, 3061 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 3062 रकबा 0. 11 हैक्टेयर, 3063 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 3064 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 3065 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 3066 रक़बा 0.22 हैक्टेयर, 3067 रकबा 0.39 हैक्टेयर, 3071 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 3072 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 3073 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 3077 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 3078 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 3079 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 3080 रकबा 0.24 हैक्टेयर, वाके ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर राज0 में स्थित है।

2— यह कि उपरोक्त आराजीत हमारे बुजुर्गान शादी पुत्र चाव सिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका देहान्त दिनांक 29—12—2014 हो चुका है, जिसके परिवार का सजरा निम्न है :—

शादी पुत्र चाव सिंह

बने खां | अली मोहम्मद | आमीन खां | अतर खां | अली खां | आस मोहम्मद

जुहरी | ऐमना | अलीभन (मृतक) | धोली (पत्नी)

जैकमदीन | मैमूना | मिसकीना | मिसकीन खां | जफरूदीन

लगातार—3

3— यह कि हम उक्त शादी पुत्र चाव सिंह के वारीस काबिज जायदाद है शादी पुत्र चाव सिंह की मृत्यु के पश्चात हम पक्षकारान उक्त आराजी पर बहैसीयत खातेदार काश्तकार के काबिज है। जिस पर हम पक्षकारान काबिज होकर काश्त कर रह है।

4— यह कि खाता संख्या 10 में शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा आराजी खाता संख्या 155 में शदी पत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा व आराजी खाता संख्या 229 में शादी पुत्र चाव सिंह का सम्पूर्ण हिस्सा आराजी खाता संख्या—9 में शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 हिस्सा, आराजी खाता संख्या 18 में शादी पुत्र चाव सिंह का 1/4 है। जिस शादी पुत्र चाव सिंह का देहान्त दिनांक 29—12—2014 को हो चुका है। उपरोक्त सभी खाते में दर्ज आराजीयात पर शादी पुत्र चाव सिंह के सजरे में दर्शाये गये वारीसान अपने अपने हिस्से पर काबित है। उक्त आराजी की बाबत शादी पुत्र श्री चाव सिंह के नाम इन्तकाल सख्या 563 मन्नका का व 2239 ग्राम तूलेडा का खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलाण्ट आस मोहम्मद तरतीबी प्रतिवादी संख्या—10 लगायत 14 जो कि मृतक शादी की पुत्री अलीमन के वारीसान है। जिनका नाम सहबन से रह गया है। जिस कारण उक्त दोनो इन्तकाल निरस्तकर दिया जाये जिसके हम पक्षकारान सहमत है।

लगातार—4

6– यह कि उक्त आराजी पर अपील स्वीकार फरमा ली जाये जिसमें रेसपोडेण्टान को कोई एतराज नही है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सख्या 563 मन्नका का व 2239 ग्राम तूलेडा को निरस्त कर आराजीयत खाता संख्या 10, 155, 9, 18, में अपीलार्थी एवं रेसपोडेण्ट संख्या–2 लगायत 9 प्रत्येक का 1/44 हिस्सा तथा आराजी खाता संख्या 229 में अपीलार्थी एवं असल रेसपोडेण्ट संख्या–2 लगायत 9 प्रत्येक का 1/11 हिस्सा जन्म जात है तथा तरतीबी रेसपेडण्टे संख्या–10 लगायत 14 का अपनी माता मृतका अलीमन के विधिक वारीसान व कायम मुकामी होने से अपनी माता अलीमन मृतका के आराजी खाता संख 10, 155, 9, 18 मे 5/220 हिस्सा व खाता संख्या 229 में 5/55 हिस्सा है उपरोक्त हिस्सा सजरे के अन्तर्गत विधिवत प्राप्त हुआ है इसके अनुसार उपरोक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज किया जाये व इन्तकाल खोले जाने की कृपा करे। जिसमें हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है।

<u>प्रार्थी / अपीलाण्ट</u>

आस मोहम्मद

अपीलाण्ट

<u>प्रार्थी रेसपोडेण्टान</u>

बन्ने खां, अली मोहम्मद, आमीन खां,

अतर खा, अली खां, जुहरी, ऐमना, धोली,

जैकमदीन, जफरूदीन, मिस्कीन खां,

मैमूना, मिस्कीना रेसपोडेण्टान